

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग**  
**संख्या- 37/2020/1533/अट्ठासी-20-07औ./18टी.सी.(ग)**  
**लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2020**

**कार्यालय-ज्ञाप**

'उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018' (यथासंशोधित) के प्रस्तर-13.3 के अन्तर्गत/प्रयोजनार्थ 'प्राधिकृत समिति' का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.	पदनाम	पदाधिकारी
1.	मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।	अध्यक्ष
2.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
10.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य
11.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य
12.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।	सदस्य सचिव
13.	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०।	सदस्य
14.	औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ०प्र०।	सदस्य
15.	अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्तानुसार गठित 'प्राधिकृत समिति' में यथावश्यकता विशेष आमंत्रित सदस्य नामित करने हेतु समिति के अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन सक्षम होंगे।

अनीता सिंह  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 37/2020/1533(1)/अट्ठासी-20, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 4- 'प्राधिकृत समिति' के समस्त पदाधिकारी।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
रेणु तिवारी  
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।